GCMS संख्या 2021/836
प्रकरण संख्या 87/21
श्रीमती उषा बनाम चुना रावत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाड़ियां **R.A.S.**

GCMS प्रकरण संख्या 2021/836

प्रकरण संख्या 87/21

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

1. श्रीमती उषा पत्नी श्यामलाल जाति ब्राहमण, निवासी बांसड़ा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।

.................प्राथीयां

बनाम

1. श्री चुना पुत्र सवा जाति रावत, निवासी कड़ेचा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
2. श्री सुखा पिता भेरा, जाति मीणा निवासी कड़ेचा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
3. श्री धना पिता भेरा जाति मीणा निवासी कड़ेचा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
4. मांगीलाल पिता भेरा जाति मीणा, निवासी कड़ेचा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
5. श्री भंवरसिंह पुत्र मोतीसिंह जाति राजपुत, निवासी काकड़ियों का खेड़ा तहसील भीण्डर, उदयपुर।
6. श्री काला पुत्र डाया जाति डांगी, निवासी कड़ेचा, तहसील भीण्डर, उदयपुर।
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर, उदयपुर।

.............अप्रार्थीगण

अधिवक्ता प्रार्थी : श्री सुशील जैन।
अधिवक्ता अप्रार्थी : श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी।

निर्णय

दिनांक : **30.05.2022**

1 प्रार्थीया श्रीमती उषा पत्नी श्यमलाल जाति ब्राहम्ण निवासी बांसड़ा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा कड़ेचा, पटवार हल्का वाणियातलाई भू. अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 12 की आराजी संख्या 33 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 36 रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 40 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 41 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीया की आराजी के चारो तरफ विपक्षीगण की आराजी स्थित है जो विपक्षीगण की खातेदारी एवं अधिपत्य है जिसमें विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया की आराजीयात एवं विपक्षीगण की आराजीयात के बीच की पाली हाक कर अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला-उदयपुर (राज.)

आराजी में मिला ने पर उतारू है तथा बिच में सही जगह की स्थिति एवं सीमा को मिटा दिया है तथा प्रार्थीया की आराजी में अतिक्रमण करने पर उतारू है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में सीमा जानकारी का आदेश लेकर पटवारी द्वारा सीमा जानकारी करने कि कोशिश कि थी लेकिन विपक्षीगण उक्त आदेश को नहीं मानते हुए मौके पर झगड़ा कराने पर उतारू हुए जिससे सीमा जानकारी नहीं हो सकी।

2 प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 28.08.2021 को बमुकाम कड़ेचा पैदा हुआ जब विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीया एवं विपक्षीगण के बीच की पाली तोड़कर अपने खेत में मिलाने की चेष्टा की तथा प्रार्थीया द्वारा उन्हे ऐसा करने से मना किया तो लड़ाई –झगड़ा करने पर उतारू ह्युए तब पैदा हुआ जो अभी तक निरंतर जारी है। अतः प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपरोक्त वर्णित आराजियात की नपती करायी जाकर प्रार्थीयां एवं विपक्षीगण के मध्य पत्थरगढ़ी करायी जाने का आदेश प्रदान करावे।

3 हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें विपक्षी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मणगिरी गोस्वामी उपस्थित हुए जिन्होनें जवाब देने के लिए अवसर चाहा गया एवं शेष पक्षकारो द्वारा बाद तामिल होने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

4 पत्रावली अप्रार्थी संख्या 1 के जवाब पर नियत थी एवं उसकी आगामी तारीख पेशी 13.06.2022 में नियत थी लेकिन प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जल्दी सुनवाई की प्रार्थना पत्र लगायी गयी जिसमें उन्होने बताया कि उक्त पत्रावली में लम्बी तारीख पेशी होने के कारण बारिश से पूर्व पत्थरगढ़ी किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है हमने जल्दी सुनवाई की प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थी अधिवक्ता की सहमति ली गई अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई जवाब पेश न करके सीधी बहस की गई।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिसमें मौजा मौजा कड़ेचा, पटवार हल्का वाणियातलाई भू. अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 12 की आराजी संख्या 33 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 36

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी भींण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)

रकबा 0.0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 40 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 41 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिसकी पत्थर गढ़ी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

6 अतः तहसीलदार भीण्डर को 1000 रूपयें पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिए जाते है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि मौजा मौजा कड़ेचा, पटवार हल्का वाणियातलाई भू. अभिलेख निरीक्षक वृत भीण्डर की जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्य 12 की आराजी संख्या 33 रकबा 0.8600 हैक्टेयर, आराजी संख्या 35 रकबा 0.1500 हैक्टेयर, आराजी संख्या 36 रकबा 0. 0300 हैक्टेयर, आराजी संख्या 40 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, आराजी संख्या 41 रकबा 0.2500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.3000 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीया के नाम खातेदारी हक से दर्ज है जिसकी पत्थरगढ़ी प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जाने के आदेश दिये जाते है।

7 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

30/5/22

(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला-उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2022.10.17 12:35:18 IST
Reason: SelfAttested